17-3-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं / प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वकील वादी इसका जवाब उल जवाब पेश करने को समय चाहते हैं। प्रति० सं० 5 के वकील जवाब पेश करने को समय चाहते हैं। अतः जवाब प्रतिवादी नं० 5 हेतु पत्रा० दि० 28-4-16 को पेश हो।

28-4-16 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-5-16 को पेश हो।

रीडर

23/7/23
24.5.16

26-5-16 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-6-16 कैम्प हिंगोट्या को पेश हो।

रीडर

1-6-16 पत्रावली लोक अदालत कैम्प हिंगोट्या पर पेश हुई। प्रतिवादीगण राजेश, मेवली, पवन कुमार उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि ख० नं० 182 रकबा 53 एयर ग्राम महानन्दपुर के कब्जे काश्त में वे वादीगण को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अतः राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रति० को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख० नं० 182 रकबा 53 एयर ग्राम महानन्दपुर के कब्जे काश्त में वादीगण को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजेश
मेवली
पवन
अजय
गोपाललाल शर्मा

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

कैम्प
र मुकदमा :-
ान मुकदमा :-
अजय कुमा
विषय :-
दय,
विनम्र निवे
ार्थी / प्रतिवा
त की भावन
अतः कृपया
:- हिंगो
:- 01-0

प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ढिंगोट्या

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 01-06-2016

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

अजयकुमार वगैरा बनाम राजूलाल वगैरा
प्रकरण संख्या - 132/2015 अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act.

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री अजय, गोपाललाल ... है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई व अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

ख० नं० 182 रकबा 53 एयर ग्राम मदानन्दपुर के कब्जे काश्त मे हम प्रतिवादीगण वादीगण को कोई बाधा उत्पन्न नही करेंगे। इसी अनुसार दावा निर्णीत कर दिया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

1. अजय
2. गोपाललाल शर्मा
3. ...
4. ...

प्रतिवादी पक्ष 1. राजेशगुर्जर
2. ...
3. निशा० मेवली
4. ...

पक्षकारों के हस्ताक्षर [signature]
नाम निरंजन कुमार सौरभ ... [illegible]

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ...
(प्रतिवादी पक्ष) नाम गंजीवाई

प्रार्थी/वादी अजय, गोपाललाल एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी राजेश, मेवली, पवनकुमार द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना बताया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(अनिल कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. अजयकुमार पुत्र ओमप्रकाश, जांगिड नि0 खण्डेलवाल धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
2. गोपाललाल पुत्र रामेश्वरप्रसाद, ब्राह्मण निवासी लुहार गली, गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, गुर्जर निवासी महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. मेवली बेवा लक्ष्मीनारायण, गुर्जर निवासी महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, गुर्जर निवासी महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. पवन पुत्र माणक सर्राफ जाति महाजन निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी
5. गोपाल पुत्र रामजीलाल, रैगर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 132/2015

वादी की ओर से अजय, गोपाल लाल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मेवली, राजेश, पवन की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 1.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण ख0नं0 182 रकबा 53 एयर ग्राम महानन्दपुर के कब्जे काश्त में वादीगण को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 182 रकबा 53 एयर ग्राम महानन्दपुर के कब्जे काश्त में वादीगण को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 1.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दीगई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	